दिनांक: 17.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाला 01 शातिर लूटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अस्लाह, स्कूटी व नगदी बरामद

बरामदगी-

- **01 तमंचा/ 01 जिंदा /01 खोखा कातूस 315 बोर**
- **01 स्कूटी (एक्टीवा) व 02 नम्बर प्लेट**
- **02 जोड़ी कपड़े व 02 मास्क (लूट की घटना में प्रयुक्त)**
- **2,30,000/- रुपये (लूट के)**
- **39 छोटी बड़ी चाबियां**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट व डकैती जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी मंगलोर की तरफ से 01 स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनकों पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु वह नही रुके तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करके भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा स्कूटी सवार व्यक्तियों को घेर-घोटकर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें 01 अभियुक्त **उत्तम कुमार पुत्र मधुसुधन त्यागी निवासी राजीव नगर नियर आर्यनगर चौक कस्बा व थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल पता कमला विहार कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को बाद पुलिस मुठभेड मंगलौर रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा/01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 एक्टीवा स्कूटी, 02 नम्बर प्लेट (गोबर लगी हुई) व **जनपद हरिद्वार में एक व्यापारी से तमंचे के बल पर लूटे गए 2,30,000/- रूपये** तथा 39 छोटी बड़ी चाबियां बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 307/411 भादवि व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया। बरामद स्कूटी (एक्टीवा) को धारा 207 मोटर वाहन अधि0 में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ। मैने अपने साथी उस्मान पुत्र मौ0 ईनाम निवासी उर्दू गेट के पास कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर के साथ मिलकर दिनांक 16.04.2024 रात्रि में करीब 11.30 बजे रोशनपुरी वाली गली, रावली महदूद, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार में एक दुकानदार से तमंचा दिखाकर 2,30,000/- रुपये लूटे है। हम दोनो उत्तराखण्ड पुलिस से बचते हुए देवबंद आ रहे थे तभी रास्ते में चैंकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुझे पकड़ लिया व मेरा साथी उस्मान मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उत्तम कुमार पुत्र मधुसुधन त्यागी निवासी राजीव नगर नियर आर्यनगर चौक कस्बा व थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल पता कमला विहार कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा /01 जिंदा /01 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 2,30,000/- रूपये (जनपद हरिद्वार से एक व्यापारी से लूटे हुए)।
- 01 एक्टीवा स्कूटी व 02 नम्बर प्लेट गोबर लगी हुई।
- 02 जोडी कपडे व 02 मास्क (लूट की घटना में प्रयुक्त)।
- 39 छोटी बडी चाबियां।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 195/24 धारा 392 भादवि थाना सिड़कुल जनपद हरिद्वार,उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 902 गोविन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 698 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. का02019 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 17.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट सहारनपुर, पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2023 को वादी श्री विशप दिनेश कुमार दिवाकर निवासी बी-37, टीचर कालौनी उत्तर पश्चिम दिल्ली ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा चर्च व कब्रिस्तान की भूमि के कूटरचना करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा करा लेना व कब्जा करने की नीयत से उक्त भूमि की दीवार को तोड़ देने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 319/23 धारा 420/467/468/471/120बी/295/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना बेहट पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त के वान्छित अभियुक्त **रोबिन रिचर्ड पुत्र रिचर्ड बरनार्ड नि0 म0न0 225 डीएमसी सैक्टर 38 चण्डीगढ** को दिनाँक 16.04.2024 को कस्बा बेहट मण्डी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त रोबिन रिचर्ड ने पूछताछ करने पर बताया कि यह जमीन कब्रिस्तान व चर्च के नाम थी जिसका कोई मालिक नही था तथा उक्त सम्पत्ति काफी मूल्यवान थी इसलिये लालच में आकर मैने इसके फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीरूल हक पुत्र गुलाम मसीह नि0 दिल्ली को इस सम्पत्ति का मालिक दिखाकर उक्त सम्पत्ति का अपने नाम बैनामा करा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोबिन रिचर्ड पुत्र रिचर्ड बरनार्ड नि0 म0न0 225 डीएमसी सैक्टर 38 चण्डीगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3.का0 1201 सत सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः 17.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ सहारनपुर, पुलिस द्वारा 01शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 पव्वे देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण , अवैध शराब / मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **विजय कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी गांव कपासी थाना नागल जिला सहारनपुर** को ग्राम तिरपडी के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 40 पव्वे देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त विजय उपरोक्त ने बताया कि कम पढ़ा लिखा हूँ यह शराब में हरियाणा राज्य से लाकर आसपास के क्षेत्र में अच्छे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पताः-

विजय कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी गांव कपासी थाना नागल जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

40 पव्वे देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

3. हैकां0 791 राजीव कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

4. कां0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर, पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/ वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 04 वांरटी अभियुक्तगण **1. जाहिद पुत्र सिन्नू निवासी ग्रा0 पटनी थाना चिलकाना स0पुर 2.नीटू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर को** संबंधित वाद सं0 2313/23 धारा 379/411 भादवि0 **3.अशुलं सैनी पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 कोठीवाला थाना चिलकाना सहारनपुर** वाद सं0 11934/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व वाद सं0 42290/23 धारा 379/411 भादवि0 तथा **4.सोबान पुत्र स्व0 मजिद निवासी ग्राम संगमौर सम्बन्धित वाद संख्या—706/2022 धारा—125(3) सीआरपीसी** को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. जाहिद पुत्र सिन्नू निवासी ग्रा0 पटनी थाना चिलकाना स0पुर
2 नीटू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना स0पुर
3. अशुलं सैनी पुत्र राजेश सैनी निवासी मौ0 कोठीवाला थाना चिलकाना स0पुर (एच0एस0 5बी)
4. सोबान पुत्र स्व0 मजिद निवासी ग्राम संगमौर थाना चिलकाना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 479 अमितकुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. है0का0 1043 अंकित सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 17.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाईल, नगदी व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2024 को वादिया अंजिल सैनी (BLO) नि0 शिव कालोनी फतेहपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई रिक्शा से जाते समय पर्स चोरी कर लेने जिसमें वादिया का मोबाईल VIVO 1820 व अन्य जरूरी सामान थे। तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर पर अबिलम्ब मु0अ0सं0 74/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 17.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण **1.अभय सैनी पुत्र अनिल सैनी नि0 ग्राम डाडा पट्टी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार 2.अमन कुमार उर्फ मोनू पुत्र सबोध नि0 ग्राम डाडा पट्टी थाना भगवानपुर हरिद्वार** को बड़कला फ्लाईओवर से देहरादून की ओर सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का मोबाईल, 80 रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर दोनो ने एक साथ बताया कि हमने मिलकर दिनांक 9.4.2024 को छुटमलपुर में एक महिला का पर्स ई रिक्सा से चोरी कर लिया था जिसमें एक मोबाईल व कुछ पैसे थे तथा पर्स को हमने कही रूड़की जाने वाले रास्ते पर फेक दिया था आज मोबाईल को बेचने के लिये हम दोनो आ रहे थे कि आपने पकड़ लिया। हमने जो मोबाईल व पैसे मिले है व उसी घटना के हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अभय सैनी पुत्र अनिल सैनी नि0 ग्राम डाडा पट्टी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
2. अमन कुमार उर्फ मोनू पुत्र सबोध नि0 ग्राम डाडा पट्टी थाना भगवानपुर हरिद्वार

बरामदगी का विवरण

- 01 वीवो मोबाईल (चोरी का)
- प्लेटिना मो0सा0 रजि0नं0 UK17L5938
- 80 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर